अक्तूबर, 2018 माह में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

केन्द्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और केरल के विभिन्न समुदायों को अनु.जाति./अनु.ज.जा. का दर्जा प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु दिनांक 10/10/2018 को बैठक आयोजित की।

2. श्री झाओ केजी, माननीय पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन (पीआरसी) सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने भारत गणराज्य तथा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के बारे में प्रथम उच्च स्तरीय बैठक के लिए माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल से दिनांक 22.10.2018 को मुलाकात की। दोनों देशों के बीच, "एग्रीमेंट ऑन को-ऑपरेशन" पर हस्ताक्षर किए गए।

3. केन्द्रीय गृह मंत्री ने श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री रानिल विक्रमसिंघे से दिनांक 19.10.2018 को मुलाकात की। दोनों देशों से संबंधित पारस्परिक हित के विषयों पर चर्चा की गई।

4. श्री किरेन रिजीजू, राज्य मंत्री (गृह) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 08.10.2018 को बैठक की।

5. भारत और म्यांमार के बीच 22वीं राष्ट्र स्तरीय बैठक केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 25-26 अक्तूबर, 2018 को आयोजित हुई। मेजर जनरल आंग थु, उप मंत्री, गृह मंत्रालय, यूनियन ऑफ म्यांमार गणराज्य की सरकार ने म्यांमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन, औषध दुर्व्यापार की रोकथाम में सहयोग, वन्य जीव तस्करी तथा परस्पर सरोकारों के मुद्दों पर चर्चा की गई।

6. केन्द्रीय गृह सचिव ने दिनांक 29.10.2018 को, उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति की 45वीं बैठक आयोजित की।

7. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) ऑफ त्रिपुरा को दिनांक 03.10.2018 की अधिसूचना संख्या 5078 (अ) के तहत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के अंतर्गत 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया है।

8. केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति की बैठक बाढ़/भूस्खलन-2018 हेतु त्रिपुरा राज्य को केन्द्रीय सहायता के लिए दिनांक 11.10.2018 को तथा कर्नाटक राज्य को केन्द्रीय सहायता के लिए दिनांक 18.10.2018 को आयोजित की गई।

9. भारत के राष्ट्रपति ने इस माह के दौरान, चार राज्य विधेयकों अर्थात् गुजरात अनु.जा., अनु.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (जाति प्रमाण-पत्र निर्गम एवं सत्यापन विनियमन) विधेयक, 2018 तथा तमिलनाडु वन (संशोधन) विधेयक, 2018, गुजरात विखंडन निवारण तथा धारण चकबंदी (संशोधन) विधेयक, 2018, सिविल प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2018 को सहमति प्रदान की।

10. विभिन्न राज्यों में दशहरा त्यौहारों तथा शुक्रवार को नमाज, मुहर्रम के दौरान, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा सतलोक आश्रम, बरवाला, हिसार में अति विशिष्ट व्यक्ति के दौरे के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 54 कंपनियां तैनात की गईं।

11. भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर, कर्नाटक राज्य में उप चुनाव के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 40 कंपनियां तैनात की गईं। भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना राज्य में विधान सभा चुनाव के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 785 कंपनियां तैनात की गईं।

12. दिल्ली में अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के दौरान सुरक्षा इंतजाम के लिए 19-21 अक्तूबर, 2018 के दौरान दिल्ली पुलिस को 100 आईटीबीपी कमांडो मुहैया कराए गए।

13. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु राज्य सरकार/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सुग्राही बनाने हेतु 4 परामर्शी-पत्र जारी किए गए।

14. बिहार राज्य छोड़कर, पूरे देश के कुल 14761 पुलिस थानों में से 14710 अर्थात् 99.65 प्रतिशत पुलिस थानों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लगाया गया है। बिहार राज्य को छोड़कर, 14761 पुलिस थानों में से लगभग 14659 अर्थात् 99.3 प्रतिशत पुलिस थानों में सीसीटीएनएस के माध्यम से प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं।

15. 3.89 करोड़ रिकार्डों का डाटा डिजिटीकरण पूरा कर लिया गया है अर्थात् कुल लक्ष्य के 99.32 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है।

16. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय एजेंसियों को 2000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए कुल परिव्यय में से 1802.5 करोड़ रुपए की राशि अब तक जारी की जा चुकी है।

17. सोसायटी रजिस्ट्रेशन (गोवा, दमण और दीव प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1979 तथा सोसायटी रजिस्ट्रेशन (गोवा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 को दिनांक 18.10.2018 की अधिसूचना के तहत दादरा और नगर हवेली क्षेत्र में लागू किया गया।

18. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर (एनआरसी) का पूरा प्रारूप दिनांक 30.07.2018 को प्रकाशित किया गया और अगले चरण के कार्य अर्थात् दावों एवं आपत्तियों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) तथा राज्य समन्वयकर्ता के परामर्श से तैयार की गई और इसे माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया। भारत सरकार द्वारा दाखिल मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 01.11.2018 के आदेश के तहत अनुमोदित किया गया है।

19. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के प्रारूप पर दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 25.09.2018 से शुरू हुई तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, दिनांक 15.12.2018 तक चली। डिजिटीकरण तथा सभी औपचारिकताओं और अपेक्षाओं के संकलन के बाद, दिनांक 15.01.2019 तक नोटिस जारी किए जाएंगे तथा सत्यापन प्रक्रिया दिनांक 01.02.2019 से प्रारंभ होगी।

20. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को दावों एवं आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा तथा समय-सीमा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

* * * * *